पत्र सं0-विधि-प्रोविजनल आर्डर//2023-24/ 326 /राज्य कर।

कार्यालयः-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 29 अगस्त, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के कई अधिवक्ता संघों एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18(दिनांक 01-04-2017 से 30-06-2017) इत्यादि की अवधि में पारित अस्थाई कर निर्धारण आदेशों के बाद संगत वर्ष में उसके सापेक्ष अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात् भी अस्थाई कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अवशेष बकाया की वसूली विभिन्न खण्डाधिकारियों द्वारा कराई जा रही है, जबकि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-28 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की गयी है :-

धारा-28(8)- **"धारा-25 के अधीन किसी कर अवधि के सम्बन्ध में किसी अनन्तिम आदेश के पारित होने के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन, कर निर्धारण आदेश देने से निवारित नहीं किया जाएगा और ऐसा अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जाएगा।"**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में उल्लिखित प्राविधान के अनुरुप ही खण्डों में कार्यवाही करायी जाये।

यह भी निर्देश दिये जाते है कि समय-समय पर जोनल स्तर पर विभिन्न अधिवक्ता एवं व्यापारी संघों के साथ बैठक आयोजित करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोंपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु।

29/08/23
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।